कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय पता :– 85–राजपुर रोड़, वन भवन, तृतीय तल, देहरादून ☎ 0135–2740391 ईमेल–ccfhrd-forest-uk@nic.in

वनादेश संख्या 48 /1–12(6) देहरादून, दिनांक 18 मार्च 2023

पदोन्नति आदेश

इस कार्यालय की पत्र संख्या 137/1–12(6) दिनांक 25.07.2022 द्वारा वन दरोगा से उप वन क्षेत्राधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की प्रथम बैठक **दिनांक 27.07.2022** को सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित **वन दरोगाओं वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल–5 रू0 29200–92300** के कार्मिकों की **उप वन क्षेत्राधिकारी के वेतन मैट्रिक्स लेवल–6 रू0 35,400–1,12,400** में कॉलम संख्या–05 के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति की जाती है:–

क्र0 सं0	दि0 01.07.22 पर आधारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	कार्मिक का नाम	वृत्त का नाम	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	2	3	4	5
1	87	बृजेश कुमार	शिवालिक वृत्त, देहरादून।	01 मई, 2023
2	89	मुन्नी पाण्डे	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।	01 मई, 2023
3	90	अमर सिंह	गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।	01 जून, 2023
4	91	नवीन सिंह रैकवाल	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।	01 जून, 2023
5	93	चंदन सिंह टगडिया	उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।	01 जून, 2023
6	95	प्रकाश चन्द्र तिवाड़ी	नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।	01 जून, 2023
7	98	खीम सिंह अधिकारी	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।	01 जून, 2023
8	99	प्रताप सिंह बिष्ट	पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।	01 जून, 2023

उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में तैनात वृत्तों के अधीन तैनाती वन प्रभागों/कार्यालय में ही अपना योगदान पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि से देना सुनिश्चित करें। पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

उक्त कार्मिकों के योगदान देने के फलस्वरुप किसी वन प्रभाग में आवंटित उप वन क्षेत्राधिकारियों के पद से अधिक कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संबंधित वन संरक्षक द्वारा वृत्त में आवंटित उप वन क्षेत्राधिकारियों के पदों के सापेक्ष उक्त अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती/समायोजन किया जायगा। इसी प्रकार वृत्त में आवंटित पदों से अधिक कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपने मण्डल के अंतर्गत पदों पर तैनाती/समायोजन किया जाएगा। यदि इसके बावजूद आवंटित पदों से अधिक पदों पर कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में कार्मिकों के अंतरमण्डलीय समायोजन हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित की जाय। यह सम्पूर्ण कार्यवाही पदोन्नति पर योगदान के 01 माह के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित करें। उप वन क्षेत्राधिकारियों के आवंटित पदों पर समायोजन की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रोन्नत उप वन क्षेत्राधिकारियों का राज्य में उप वन

आई. टी. सी. सी. विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें
D. C.f
18.3.2023

Generated from eOffice by AKANKSHA NEGI, HA-AKANKSHANEGI, HEAD ASSISTANT, FOREST DEPT on 18/03/2023 02:02 pm

क्षेत्राधिकारियों के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष सबंन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रोन्नत वेतन आहरित किया जायगा।

उपरोक्त कार्मिकों की पदोन्नति पर योगदान अथवा पदोन्नति स्वीकार न करने सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाए।

Signed by Manoj Chandran
Date: 18-03-2023 13:56:24

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

पत्रांक I/18114/2023 (1) / 1–12(6) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखितको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
4. आदेश में अंकित समस्त सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय।
5. सम्बन्धित समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अधिष्ठान/गार्ड बुक।
7. आई0टी0 प्रकोष्ठ, मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट, देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक